उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या : 4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024

लखनऊ : दिनाँक : 19 जून, 2024

कार्यालय - ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में प्रावधानित धनराशियों के समस्त वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 द्वारा जारी किये गये हैं ।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर 2(6) में स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनके वचनबद्ध व्ययों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वहन करने का दायित्व राज्य सरकार का है और उन्हें मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने तथा 2(13) में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गयी है ।

3- सम्यक् विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 के प्रस्तर 2(6) तथा 2(13) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

प्रस्तर-2	विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(6)	ऐसी राज सहायतित स्वायत्तशासी संस्थायें, जिनके वचनबद्ध व्ययों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वहन करने का दायित्व राज्य सरकार का है और उन्हें मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सहायता दी जानी है, तो संस्थाओं के पास विगत वर्ष की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि के समायोजन करने के उपरान्त धनराशि निम्नवत् अवमुक्त की जायेगी - (अ) रुपये 50 लाख तक बजट व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त की जायेगी । (ब) रुपये 50 लाख से अधिक तथा रुपये 4.00 करोड़ तक बजट व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि चार समान तिमाही किश्तों में अवमुक्त की जायेगी । (स) रुपये 4.00 करोड़ से अधिक बजट	ऐसी राज सहायतित स्वायत्तशासी संस्थायें, जिनके वचनबद्ध व्ययों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वहन करने का दायित्व राज्य सरकार का है और उन्हें मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सहायता दी जानी है, तो संस्थाओं के पास विगत वर्ष की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि के समायोजन करने के उपरान्त धनराशि निम्नवत् अवमुक्त की जायेगी - (अ) रुपये 1.00 करोड़ तक बजट व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त की जायेगी । (ब) रुपये 1.00 करोड़ से अधिक तथा रुपये 4.00 करोड़ तक बजट व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि चार-चार माह के अन्तराल पर तीन किश्तों में अवमुक्त की जायेगी । (स) रुपये 4.00 करोड़ से अधिक बजट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि दो-दो महीने के अन्तराल पर छः समान किश्तों में अवमुक्त की जायेगी । उक्तानुसार प्रथम किश्त प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी तथा प्रथम किश्त के बाद की किश्तें संस्था को अवमुक्त किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी ।	व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि तीन-तीन महीने के अन्तराल पर चार समान किश्तों में अवमुक्त की जायेगी । उक्तानुसार प्रथम किश्त प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी तथा प्रथम किश्त के बाद की किश्तें संस्था को अवमुक्त किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी । परन्तु यदि किसी योजना विशेष हेतु धनराशि की व्यवस्था मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत की गयी है तो इस प्रकार व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति उस योजना के गाइडलाइन्स के अनुसार जारी की जायेगी।
(13)	ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें (Centrally Sponsored Schemes), जिनमें अधिष्ठान व्यय (वेतन-भत्ते आदि) सन्निहित है तथा योजना के कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार की वचनबद्धता है और विगत वर्षों में केन्द्रांश नियमित रूप से प्राप्त होता रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में भी केन्द्रांश प्राप्त होने की पूरी-पूरी सम्भावना है तो ऐसे मामलों में केन्द्रांश की प्रत्याशा में तीन माह (प्रथम त्रैमास) के वेतन-भत्ते आदि के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जा सकती है ।	ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें (Centrally Sponsored Schemes), जिनमें अधिष्ठान व्यय (वेतन-भत्ते आदि) सन्निहित है तथा योजना के कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार की वचनबद्धता है और विगत वर्षों में केन्द्रांश नियमित रूप से प्राप्त होता रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में भी केन्द्रांश प्राप्त होने की पूरी-पूरी सम्भावना है तो ऐसे मामलों में केन्द्रांश की प्रत्याशा में तीन माह (प्रथम त्रैमास) के वेतन-भत्ते आदि के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जा सकती है । यह भी कि केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें (Centrally Sponsored Schemes) के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश का एस.एन.ए. खाते मे अन्तरण हेतु वित्तीय स्वीकृति, प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग से कराने के उपरान्त, समय-समय पर भारत सरकार से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्राप्त निर्देशानुसार, प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जायेंगी।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे । तद्नुसार वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या : 4/2024/बी-1-607(1)/दस-2024-231/2024, तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज ।
3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
9 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13 विभागीय आदेश पत्रावली ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in